न्यायालयः–वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **अजय कुमार पूनियां, आर.जे.एस.**

दीवानी वाद संख्या–CIS No– 15/2023

CNR N.–RJSK110000422023

कृष्ण पुत्र स्व. सुशील गोस्वामी उम्र 38 वर्ष, निवासी– वार्ड नम्बर 20, रूईया गली रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज०)

––– वादी

बनाम

कमल कुमार पुत्र शुभकरण पिचलांगिया उम्र 41 वर्ष, निवासी– वार्ड नं. 5 नेहरू मोहल्ला रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.

––– प्रतिवादी

वाद बाबत दिलाये जाने 2,05,000/–रूपये

(सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश–37 के अधीन)

उपस्थिति:–

1– श्री दिनेश नागौरा, विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से।
2– प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं।

नि र्ण य **दिनांक– 10.03.2026**

1– **प्रकरण का संक्षिप्त विवरण –**

वाद प्रस्तुति की तिथि	03.08.2023
प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही	09.12.2024
वादी की ओर से साक्ष्य पेश करने की तिथि	–
प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि	–
अंतिम बहस सुनी जाने की तिथि	10.03.2026
निर्णय सुनाये जाने की तिथि	10.03.2026

2– **वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत किये गये गवाहानः–**

क्र. सं.	नाम गवाह	पी.डब्ल्यू
1	–	–

3– **वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजः–**

क्र. सं.	प्रस्तुत किया गया दस्तावेज का नाम	प्रदर्श
1	–	–

4– **प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब दावा के समर्थन में प्रस्तुत किये गये गवाहानः–**

क्र. सं.	नाम गवाह	डी.डब्ल्यू
1	–	–

5– **प्रतिवादी की ओर से अपने जवाबदावा के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजः–**

क्र. सं.	प्रस्तुत किया गया दस्तावेज का नाम	प्रदर्श
1	–	–

6– वादी की ओर से हस्तगत वाद अंतर्गत आदेश–37 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत 2,05,000/–रूपये मय ब्याज वसूली हेतु प्रतिवादी कमल कुमार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है और इसका आधार प्रतिवादी द्वारा वादी को दिये गये चैक संख्या 751819 राशि एक लाख रूपये दिनांक 25.07.2022 व चैक संख्या 447008 राशि 1,05,000/–रूपये दिनांक 26.07.2022 रहे है। यह असल चैक व इसका अनादरित मीमों पत्रावली पर मूल उपलब्ध है जिनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी द्वारा वादी को अपनी वैध अदायगी पेटे कुल 2,05,000/–रूपये की राशि ये चैक जारी करके दिये है, जिनका भुगतान है। प्रतिवादी के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण वादी को प्राप्त नहीं हुआ है।

7– दिनांक 09.12.2024 को प्रतिवादी की तामील हो जाने के बावजूद वह उपस्थित नहीं आया है।

8– बहस अंतिम उभय पक्षों की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9– हस्तगत प्रकरण के निस्तारणार्थ निम्न विचारणीय बिन्दू पाया जाता है–

(1) आया वादी प्रतिवादी से 2,05,000/–रूपये मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है?

(2) अनुतोष?

10– विचारणीय बिन्दू संख्या –1 पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है–

11– हस्तगत प्रकरण के सम्मन उपस्थिति हेतु प्रतिवादी का प्रेषित किये जाने पर बावजूद तामील प्रतिवादी इस प्रकरण में उपस्थित नहीं आया है। इस कारण आदेश–37 नियम 2(3) के तहत वादी के वाद पत्र के अभिवचन स्वीकृत अभिवचनों की श्रेणी में आते है और इसी आधार पर वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अनुतोष–

12– उक्त विचारणीय बिन्दू वादी के पक्ष में तय किया गया है। इस कारण वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

–आदेश–

13– परिणामतः वादी कृष्ण की ओर से प्रतिवादी कमल कुमार के विरूद्ध हस्तगत वाद अंतर्गत आदेश 37 दीवानी प्रक्रिया संहिता निम्नानुसार डिक्री किया जाता है–

(1) प्रतिवादी वादी को इस निर्णय से तीन माह के भीतर 2,05,000/–रूपये अदा करेगा।

(2) प्रतिवादी उक्त राशि पर निर्णय की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दावा दायरी की दिनांक से वादी को अदा करेगा। इस ब्याज राशि पर न्याय शुल्क देय रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(अजय कुमार पूनियां)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला सीकर

14– निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(अजय कुमार पूनियां)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला सीकर